संख्या-11/2016/320/74-2016-20(ब)/2013

प्रेषक,

जे0 एल0 यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग — लखनऊ:: दिनांक 29 मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में कैटालिटिक डेबलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेरीकल्चर योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अवशेष राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-730/सेरी0/नियो0/सी0डी0पी0/2015-16 दिनांक 12 फरवरी, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में कैटालिटिक डेबलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेरीकल्चर योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2014-15 की उपलब्ध अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 17894.30 हजार के समतुल्य राज्यांश धनराशि रू0 17894.30 हजार (रूपया एक करोड अठहत्तर लाख चौरानवे हजार तीन सौ मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कर प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 में परिक्षेत्रीय अधिकारियों को आवंटित केन्द्रांश रू0 17894.30 हजार के सापेक्ष अर्जित ब्याज राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृति धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार के विचलन/दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम/प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एस0एफ0, उ0प्र0 स्वयं जिम्मेदार/उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) निर्माण कार्यो के लिए सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) आदि के निर्धारण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-05-कैटालिटिक डेबलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेरीकल्चर-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव।

संख्या-11/2016/320(1)/74-2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एस0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
(9) नियोजन अनुभाग-4
(10) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।